Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सरकारी प्रयास : एक अध्ययन

डॉ0 मुकुन्द मोहन पाण्डेय
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, डिर्पाटमेण्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन (एच.आई.), जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3 Issue 6
Page Number: 221-225

Publication Issue :
November-December-2020

Article History
Accepted : 01 Dec 2020
Published : 25 Dec 2020

सारांश– दिव्यांग बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षमता तो पहले से ही होती है। ऊपर से मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ने पर वे अनेक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं के शिकार हो जाते है। इन्हें संवेगात्मक समायोजन तथा इनकी शिक्षा–दीक्षा में सहायता प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि इन बच्चों के व्यक्तित्व आवश्यकता को जाना जाय तथा इन्हें समाज में समायोजित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के आलोक में प्रयास किये जाये। सभी प्रकारों के प्रयासों की नींव ज्ञान की आधारशिला पर रखी जाती है। अतः समाज की मुख्य धारा में दिव्यांग बच्चों को सम्मलित करने के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य बच्चों के सापेक्ष उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय तथा सरकार, नीति–निर्देशक तथा सामाजिक व्यवस्था में उन्हें ज्यादा–ज्यादा रियायतों एवं सुविधाओं का दिया जाना अति आवश्यक है। जिससे दिव्यांग बच्चे किसी के ऊपर आश्रित न होकर आत्मनिर्भर बन सके तथा वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में कही गयी बातें जिसमें उन्होंने विकलांग बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा प्रदान करते हुए बहुत सारी योजनाएँ लागू की।

की–वर्ड– दिव्यांग, सरकारी एवं गैर सरकारी नीतियाँ, रियायतें, सुविधाएँ, लागू।

प्रस्तावना – शिक्षा ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जनसंख्या का 85 प्रतिशत भाग निरक्षर था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं सर्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा था किन्तु इतने वर्षों के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना सम्भव नही हो सका।

प्रत्येक बालक किसी न किसी सामाजिक वातावरण में रहता है। उसी वातावरण से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बालक की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाँधायें आती है। तो बाधाओं के कारण उनमें तनाव उत्पन्न होता है जिससे वह दुःखी तथा निराश हो जाता है। कुछ लोगों के साथ कुछ परिस्थितियों में बालक को प्रसन्नता तथा सन्तुष्टि का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में उनका समायोजन अच्छा होता है परन्तु जिन लोगों के साथ या जिन परिस्थितियों में बालक को असन्तोष और

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अप्रसन्नता मिलती है। ऐसी स्थिति में उनका समायोजन अच्छा नही होता है। सामान्य बच्चों का समायोजन अच्छा तब होता है जब उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय और जब उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो वे कुसमायोजन के शिकार हो जाते है।

सामाजिक दृष्टिकोण से भी इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना न केवल आवश्यक है। वरन् महत्वपूर्ण भी है। आज के 25 लाख दिव्यांग बालक यदि उनकी कोई उचित शैक्षणिक तथा व्यवसायिक व्यवस्था न की गई तो जिन्दगी भर समाज पर एक भार स्वरूप बने रहेंगे। वे कोई भी उत्पादक कार्य नही कर पायेगें और उल्टा समाज द्वारा उत्पादित सामाग्री का उपभोग ही करेगें।

अर्थात् यह कहा जा सकता है कि दिव्यांग केवल उपभोक्ता ही रह जायेगे उत्पादक नही। इतना ही नही इनको अगर यूँ ही छोड़ दिया जाय तो वे अनेक अन्य सामाजिक समस्याओं का निर्माण करेगें। जैसे–भिक्षावृत्ति अपनाना, अनैतिक कार्यों से जीविकोपार्जन करना, आवारा घूमना, सामान्य बालकों के साथ रहकर उनमें भी गन्दी आदतें डालना आदि। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से दिव्यांगों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

दिव्यांगों के लिये शैक्षिक सुविधाओं का विकास किया जाता है और ऐसे समन्वित कार्यक्रमों का भी विकास किया जा रहा है, जिसके द्वारा वे बच्चे सामान्य स्कूलों में अध्ययन प्राप्त कर सकें साथ ही साथ विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर अनेक सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके इस ओर सार्थक प्रयास किया है, जहाँ दिव्यांग व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। इनकी शिक्षा के लिये मार्गदर्शी सेवाओं को भी विकसित किया जा रहा हैं विशेष बालकों की शिक्षा के निमित्त कम से कम एक अच्छी संस्था प्रत्येक जिले में भी स्थापित करने का उद्देश्य है और ऐसे सुसंगठित कार्यक्रम शिक्षकों के प्रशिक्षण, शोधकार्य तथा विभिन्न अभिकरणों में तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी ध्यान दिया जा रहा है।

वर्तमान समय में दिव्यांग बालकों के लिए के लिए निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत समान अधिकार एवं कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिकार प्रदान किये गये है। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को रियायतें एवं सुविधाओं का ध्यान रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिव्यांग शिक्षा के निम्न उद्देश्य दिये गये हैं–

1. शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों का अन्य स्वस्थ बालकों के साथ समान सहभागित्व के आधार पर समन्वय करना।
2. उन्हें सामान्य विकास के लिये तैयार करना।
3. जीवन का साहस और विश्वास के साथ सामना करने की योग्यता उत्पन्न करना।

सामान्य शिक्षा के लिये अतिरिक्त दिव्यांगों के लिये अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लागू किये है। दिव्यांगों की व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल इसलिये दिया गया है जिससे वो अपनी जीविकोपार्जन कर आत्म निर्भर हो सकें। दिव्यांगों को दी जा रही रियायतें एवं सुविधाओं का योजना कहाँ तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो रही है, दिव्यांग कहाँ तक इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में और सुधार की संभावनाएँ क्या हैं? तथा उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को कहाँ तक दूर कर पाते है जिससे इस कार्यक्रम की ओर आगे अधिक वृहद रूप से क्रियान्वित किया जा सके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने हेतु

शोधकर्त्ता ने प्रस्तुत समस्या पर कार्य करने का विचार किया है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा में मिलने वाली रियायतों एवं सुविधाओं के बारें में जानकारी प्राप्त हो सके।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधा –

- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण की उपलब्धता।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
- यात्रा रियायत
- निजी यात्री वाहन में निःशक्त व्यक्तियों को चढ़ने उतरने की सुविधा तथा सीट आरक्षित।
- वृत्तिकर से छूट।
- सिविल सेवा परीक्षा में चयनित निःशक्तों को लाभ।
- मानसिक बहुदिव्यांग को रु0 500/– की मासिक सहायता।
- निःशक्त विवाह हेतु विशेष सहायता– निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना है।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधा–

- रेल यात्रा किराया रियायत।
- हवाई यात्रा किराया रियायत।
- शिक्षण भत्ता।
- आवास आवंटन।
- सीमा शुक्ल व अतिरिक्त सीमा शुल्क में छूट।

आगामी वर्षों में श्रवण बाधित बालकों के शिक्षा के लिए रियायतें एवं सुविधाएँ–

वर्ष 2020 तक हरेक दिव्यांग बच्चे को प्री–स्कूल, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु सरकार द्वारा निम्न बातों पर ध्यान दिया गया है–

1. विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की दृष्टिकोण से संसाधनों की व्यवस्था।
2. दिव्यांग बच्चों के शिक्षण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियों में बदलाव तथा दिव्यांग बच्चों की परिस्थितियों के आधार पर बदलाव।
3. दिव्यांगों को घर से विद्यालय ले आने एवं घर पहुँचाने की व्यवस्था।
4. दिव्यांग बच्चों के लिए तकनीकी/सिखाने वाले यंत्र औजार, जैसे खिलौने, ब्रेल, टॉकिंग बुक, उचित सॉफ्टवेयर इत्यादि भी उपलब्धता तथासामान्य पुस्तकालय, ई–लाइब्रेरी, ब्रेल–लाइब्रेरी तथा टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, संसाधन कक्ष की स्थापना ।
5. दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना।

1. दिव्यांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत 18 वर्षों की उम्र मुक्त शिक्षा दिये जाने का प्रावधान दिया गया है।
2. समेकित शिक्षा के तहत 15 से 18 उम्र के दिव्यांग बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी।

3. राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा स्वयंसेवी संगठनों के जरिए क्रियान्वित आईईडीसी योजना के तहत् श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा की सभी सुविधा 100 प्रतिशत दी जाती है, के प्रति जागरूक है।
4. श्रवण बाधित बालकों के अधिकारों से सम्बन्धित शिकायतों के मामले की जाँच मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त दोनों द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
5. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा के लिए रियायतें एवं सुविधा प्रदान की जा रही है।
6. सड़क यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए यात्रा में छूट का प्रावधान है।
7. सड़क यात्रा में 50–75 प्रतिशत की छूट मिलती है।
8. रेल यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्तियों के यात्रा में छूट का प्रावधान है।
9. रेल यात्रा में सहयोगी के साथ 50–75 प्रतिशत की छूट मिलती है।
10. श्रवणबाधित व्यक्तियों को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है।
11. श्रवणबाधितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 प्रतिशत मिलता है।
12. सरकार द्वारा श्रवण बाधितों के लिए अनुवृत्ति पेंशन का प्रावधान किया गया है।
13. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन की रकम 50 रु0 है।
14. सरकार द्वारा श्रवणबाधित बालकों के लिए प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं का लाभ मिलता है।
15. विश्वविद्यालयों द्वारा श्रवणबाधित व्यक्तियों को परीक्षा शुक्ल में छूट मिलती है।
16. परीक्षा के समय श्रवण बाधित बालकों को संकृतात्मक भाषा की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।
17. सामान्य या विशेष विद्यालयों में प्रवेश के समय श्रवण अक्षम व्यक्तियों से ली जाने वाली प्रवेश शुक्ल में छूट प्रदान की जाती है।
18. छात्रावास में श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रहने की सुविधा उपलब्ध है।
19. परीक्षा के समय सामान्य से 1 घण्टा अधिक समय श्रवणबाधित व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
20. श्रवण अक्षम बालकों को शैक्षणिक सामान खरीदने में सरकारी अनुदान मिलता है।
21. नौकरी वाले दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह यात्रा भत्ता मिलने की सुविधा उपलब्ध है।
22. सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को 3% आरक्षण दिया जाए यह संविधान धारा 34 में सुनिश्चित किया गया है।
23. सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांग होना आवश्यक है।
24. 18 वर्ष की आयु के पश्चात् दिव्यांगों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की धनराशि 300रु0 है।
25. सन् 2020 तक हरेक श्रवण बाधित बच्चे को प्री–स्कूल, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके।

सुझाव– प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं–

1. सरकार द्वारा दिव्यांग बालकों को शिक्षा में दिये जाने वाले रियायतों एवं सुविधाओं को टी.वी. चैनल, अखबारों, इण्टरनेट एवं पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से पहुँचाना चाहिए जिससे उनके माता–पिता उन रियायतों एवं सुविधाओं से अवगत हो सकें।
2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिव्यांग बालकों को चिन्हांकित कराकर उनको शिक्षा में दी जाने वाली सुविधाओं को स्वयं उनके खाते या उन्हें दिया जाना चाहिए जिससे बीच में चोरी–भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा हड़प न किया जाये।
3. गैर सरकारी संगठनों को इसमें शामिल होना चाहिए जिससे समय–समय पर दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली रियायतों एवं सुविधाओं को प्रचार के माध्यम से उनके अवगत करा सकें।
4. सरकार द्वारा श्रवण बाधित बच्चों के लिए और अधिक सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे और अधिक पढ़ सकें तथा अपने जीवन को एक सही रास्ता दे सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.के0 लता (1985), सामान्य एवं विकलांग बच्चों के समायोजन में अन्तर का अध्ययन, पी–एच0डी0, आगराः आगरा विश्वविद्यालय।

2.बोला, एम0 (1985), सामान्य एवं विकलांग बच्चों के स्कूल में प्रदान की गई शैक्षणिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन, पी–एच0डी0 शिक्षा, कुरुक्षेत्रः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।

3.सिंह, आर0पी0 एवं एस0 प्रभा (1987), बिहार राज्य के विद्यालयों में शारीरिक विकलांगों को दी जाने वाली एकीकृत शैक्षिक सुविधाओं का मूल्य, पी–एच0डी0, शिक्षा, पटनाः पटना विश्वविद्यालय।

4.बनर्जी, एन0 (1988), हाईस्कूल स्तर में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों के समायोजन समस्या का अन्वेषण, पी–एच0डी0, शिक्षा, पश्चिम बंगालः विश्व भारती विश्वविद्यालय।

5.भट्टाचार्य, एम0 (1988), हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थी में बीजगणित जोड़ के मान ज्ञात करने में अध्ययन अयोग्यता का अन्वेषण, पी–एच0डी0, शिक्षा, महाराष्ट्रः कल्याणी विश्वविद्यालय।

6.विश्वास, अन्जु (1989), शारीरिक विज्ञान के कुछ क्षेत्र में अध्ययन अयोग्यता से सम्बन्धित अध्ययनः सुधार और रोकथाम, पी–एच0डी0, शिक्षा, महाराष्ट्रः कल्याणी विश्वविद्यालय।

7.महापात्र, एस0 (1991), सामान्य और अध्ययन विकलांग बच्चों का पठन, ध्यान और सावधान क्रिया, एम0फिल0, मनोविज्ञान, उत्कलः उत्कल विश्वविद्यालय।

8.सिंह, प्रभात, रघुभा (1992), सामान्य एवं विकलांग बच्चों के समायोजन, क्रोध, पुनर्बलन और स्वसंकल्पना का तुलनात्मक अध्ययन, पी–एच0डी0, शिक्षा, गुजरातः सौराष्ट्र विश्वविद्यालय।

9.श्रीवास्तव, सुशीला (1992), प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में अध्ययन अयोग्यताः लिंग, उम्र और धर्म का प्रभाव, पी–एच0डी0, शिक्षा, मेरठः चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय।

10.वेबर, के0पी0 (2005), हाईस्कूल के विद्यार्थियों में पुनः पठन क्रिया के पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, पी–एच0डी0, शिक्षा गोनाजाः गोनाजा विश्वविद्यालय।

11.लिली, ए0 रिसी (2011), अध्ययन रूचि और आवश्यक, साक्षरता कौशल का अध्ययन, पी–एच0डी0, शिक्षा, लॉस एन्जिल्स, कैलिफोर्नियाः स्टेट विश्वविद्यालय।